HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 2480/2026

M/s Ofb Tech (Private) Limited,

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan,

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Shashank Agarwal, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

24/04/2026

अयाची संख्या–1 की ओर से विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उपस्थिति दी गयी।

अयाची संख्या–2 व 3 को नियमानुसार नोटिस जारी किये जावे।

विद्वान लोक अभियोजक को निर्देशित किया जाता है कि आगामी सुनवाई की तिथि पर प्रकरण के अनुसंधान के संबंध में तथ्यात्मक/प्रगति रिपोर्ट तलब कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे।

अंतरिम आदेश पर सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता याचीगण का निवेदन है कि विवाद पूर्णतः सिविल प्रकृति का है, प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी यह उल्लेखित कियाहै कि परिवादी पक्ष की ओर से खरीदे गये पाईप के पेटे अभियुक्तगण को 3,05,95,296/–रूपये अधिक अदा कर दिये गये है तथा यह राशि नहीं लौटाई गयी है। उनका यह भी निवेदन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित आरोपों को इसी रूप में भी माना जावे तब भी विवाद व्यावसायिक व सिविल प्रकृति का है।

संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि **आज से 15 दिन** में अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अनुसंधान में सहयोग करे तथा इस शर्त के साथ अभियुक्तगण को आगामी

पेशी तक पुलिस थाना **वैशाली नगर, जयपुर पश्चिम** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **05/2026** में गिरफ्तार नहीं करने का अंतरिम आदेश दिया जाता है।

यह आदेश अयाची संख्या 2 व 3/परिवादीगण पर नोटिस तामील होने के बाद प्रभावी होगा। अयाची संख्या 2 व 3 इस आदेश को रिकॉल करने हेतु आवेदन पेश करने हेतु स्वतंत्र होंगे

पत्रावली तीन **सप्ताह बाद** न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

Murari Lal Sharma /41